

प्ररूप-क

( देखिए नियम 4 (4)(i) )

<b>मतदाता सूची में नाम शामिल करने/ किसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिए या किसी दूसरे वार्डों में नाम रखने के लिए आवेदन</b>		
सेवा में  पुनरीक्षण प्राधिकारी,  नगर निगम .....वार्ड संख्या.....  या  उपायुक्त.....,	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: small;">                     हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0 X 3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान                 </div>	
महोदय,  मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त नगर निगम के लिए मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि की जाए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखा जाए ।  मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के मेरे दावे के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं ।		
आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
1. कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र .....के क्रम संख्या ..... भाग नं0..... में उल्लेख किया गया है, लेकिन नगर निगम की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है जो अब वार्ड नं0..... में शामिल किया जा सकता है ।  2. कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र.....के क्रम संख्या .....		

भाग नं० ..... में शामिल किया गया है और मेरा नाम नगर निगम की मतदाता सूची के वार्ड संख्या ..... में शामिल किया जाये।

3. कि मतदाता सूची में प्रविष्टि ..... इस तरह सही किया जाए ..... इस आधार पर कि ..... ।

4. कि मेरा नाम वार्ड नं० ..... की बजाय वार्ड नं० ..... में प्रविष्टि किया जाये।

5. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मेरा विवरण वर्णित है, जैसे ..... परन्तु नगर निगम की मतदाता सूची में ..... के रूप में यथा वर्णित है और इसे ..... के रूप में सही करने के लिए अनुरोध है।

**6. घोषणा:-**  
मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लेखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान:  
दिनांक:

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान  
आवेदन का पूरा पता .....  
.....  
.....  
मोबाईल नं० .....

**टिप्पण :-** कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 8ग के अधीन दंडनीय होगा।

\*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

**की गई कार्रवाई के ब्यौरे**  
( नगरनिगम के पुनरीक्षण प्राधिकारी या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती /कुमारी..... के मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन को \*स्वीकार कर लिया गया है/ \*नामंजूर कर दिया गया है।

\*स्वीकार करने या नामंजूर करने {हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-4 के अधीन या उसके अनुसरण में} के लिए विस्तृत कारण:

.....

.....

.....

स्थान:		
तारीख:		
	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)

\*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी की टिप्पणी

प्ररूप क मे श्री/श्रीमती/कुमारी ....., पता.....  
.....से आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की  
क्रम संख्या ..... में प्रविष्टि किया गया है।

सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा समय .....

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे तथा आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

दिनाक:-

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान



प्ररूप-ख

{देखिए नियम 4 (4)(i)}

मतदाता सूची में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्टि नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन

सेवा में

पुनरीक्षण प्राधिकारी,

नगरनिगम .....वार्ड संख्या.....

या

उपायुक्त.....,

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सेंमी0 X 3.05 सेंमी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

/मैं उपर्युक्त नगरनिगम के लिए मतदाता सूची में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :

/मैं निवेदन करता हूँ कि \*मुझसे/\*नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है:

आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)

1. कि श्री/श्रीमति/कुमारी ..... का नाम नगरनिगम की मतदाता सूची के वार्ड नं0 ..... की क्रम संख्या.....पर

अंकित है, लेकिन यह क्षेत्र जहां यह व्यक्ति रहता है वह नगरनिगम की हद में नहीं है।	
2. कि श्री/श्रीमति/कुमारी ..... का नाम वार्ड नं0 ..... ..... की जगह वार्ड नं0 .....में शामिल किया जाए।	
<b>3. घोषणा:-</b>	
मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।	
स्थान: दिनांक:	दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान आवेदन का पूरा पता ..... ..... ..... मोबाईल नं0 .....

**टिप्पणी:-** कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगरनिगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 8ग के अधीन दंडनीय होगा।

\*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

**की गई कार्रवाई के ब्यौरे**  
( नगरनिगम के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... का प्ररूप ख में मतदाता सूची में श्री/श्रीमती/कुमारी..... के नाम को 'सम्मिलित किए जाने पर/'हटाए जाने हेतु दिया गया आवेदन 'स्वीकार कर लिया गया है /'नामंजूर कर दिया गया है ।

स्वीकार करने या नामंजूर करने [हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 (1994 का 16) के नियम 4 के अधीन या उसके अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण :

.....  
.....

स्थान:		
तारीख:	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान

\*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी की टिप्पणी

प्ररूप ख मे श्री/श्रीमती/कुमारी ..... , पता.....  
 .....से आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की  
 क्रम संख्या ..... में प्रविष्टि किया गया है।

सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा समय .....

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे व आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

दिनांक :-

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान